कार्यालय जिलाधिकारी कानपुर देहात।

(खनन अनुभाग)

पत्र संख्या 399/उपखनिज–ई–निविदा सह ई–नीलामी/2022 दिनांक 15 मई,2023

ई–निविदा सह ई–नीलामी आमन्त्रण हेतु सूचना

सवर्साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद कानपुर देहात में नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू/मौरम के रिक्त क्षेत्रों को दिनांक 13.08.2019 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (47वॉ संशोधन) नियमावली–2019 के अनुक्रम में निर्गत शासनादेश संख्या–2168/86–2019–57 (सामा0)/2017 दिनांक 09.10.2019 में दिये गये निर्देशानुसार ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रणाली के माध्यम से उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–1963 के अध्याय–4 के अन्तर्गत खनन पट्टा पर स्वीकृत किये जाने हेतु निम्नवत् घोषित किया जाता है:–

1–क्षेत्र का विवरण :–

क0 सं0	उप खनिज का नाम	नदी का नाम	क्षेत्र विवरण					जियोकोर्डिनेट बिन्दु सं0– A बिन्दु सं0– B बिन्दु सं0– C बिन्दु सं0– D		नियमावली 1963 के अनुसूची 1 के अनुसार रायल्टी दर (रू0प्रति धन मीटर)	खनन योग्य आंकलित उपखनिज का भण्डार (घनमीटर प्रथम वर्ष)	प्रथम वर्ष में आंकलित भण्डार की कुल रायल्टी रूपयों में। (कालम 10 में अंकित घनमीटर प्रथम वर्ष को कालम–9 में अंकित रायल्टी की दर से गुणा करने पर उपलब्ध सकल धनराशि)	अर्नेस्ट मनी (कालम 11 में अंकित सकल धनराशि का 25 प्रतिशत)
			तहसील	एरिया कोड	ग्राम	गाटा सं0/ खण्ड सं0/ जोन सं0	क्षेत्र0 (हे0में)	अक्षान्तर	देशान्तर				
1	2	3	4		5	6	7	8		9	10	11	12
1	सा0 बालू	यमुना	रिकन्दरा	1498690101	जैसलपुर महदेवा	खण्ड–1 गाटा सं0–2059 एवं 2060	15.00	A 26° 16 1.36 N B 26° 15 54.44 N C26° 15 46.19 N D26° 15 53.00 N	79° 33 48.58 E 79° 34 6.42 E 79° 34 2.15 E 79° 33 44.28 E	65.00	1,80,000	1,17,00,000.00	29,25,000.00
2	सा0 बालू	यमुना	सिकन्दरा	1498690104	जैसलपुर महदेवा	खण्ड- 4 गाटा सं0–2059 एवं 2060	16.50	A26° 15 40.54 N B26° 15 39.90 N C26° 15 36.91 N D26° 15 27.82 N E26° 15 31.21 N F26° 15 32.31 N	79° 34 42.16 E 79° 34 44.07 E 79° 35 0.83 E 79° 35 0.64 E 79° 34 40.61 E 79° 34 37.84 E	65.00	1,98,000	1,28,70,000.00	32,17,500.00
3	सा0 बालू	यमुना	सिकन्दरा	1497760101	गौहानी कछार	खण्ड–2 गाटा सं0–468	14.00	A26° 20 53.85 N B26° 20 55.45 N C26° 20 47.46 N D26° 20 47.32 N	79° 31 21.80 E 79° 31 43.64 E 79° 31 40.75 E 79° 31 16.55 E	65.00	1,89,600	1,23,24,000.00	30,81,000.00
4	सा0 बालू	यमुना	सिकन्दरा	1497760102	गौहानी कछार	खण्ड–3 गाटा सं0–468	15.80	A26° 20 55.45 N B26° 21 6.81 N C26° 21 0.47 N D26° 20 47.46 N	79° 31 43.64 E 79° 32 7.05 E 79° 32 9.59 E 79° 31 40.75 E	65.00	1,68,000	1,09,20,000.00	27,30,000.00

2–ई–निविदा सह ई–नीलामी द्वारा नदी तल स्थित उपखनिजों के खनन पट्टा निश्चित अवधि 05 वर्ष के लिये स्वीकृत किये जायेगें। पट्टे की अवधि की गणना खनन पट्टा विलेख निष्पादन की तिथि से की जायेगी।

3–ई–निविदा सह ई–नीलामी की बिड/बोली उपखनिज की प्रति घनमीटर के लिये दी जायेगी, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–1963 के अनुसूची–1 में निर्धारित रायल्टी की दर से कम नहीं होगी। इससे भिन्न बिड/बोली दिये जाने पर बिड/बोली स्वीकार नहीं की जायेगी तथा प्रीबिड अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी। प्राप्त उच्चतम बिड/बोली की दर (रूपया प्रतिघनमीटर) को क्षेत्र में आंकलित मात्रा (घनमीटर) से गुणा कर प्रथम वर्ष की नीलामी की देय धनराशि आगणित की जायेगी।

4–ई–निविदा सह ई–नीलामी दो चरणों में होगी। प्रथम चरण में ई–निविदा सम्पन्न की जायेगी। जिसके दौरान सभी बिडर्स को एक बार ई–निविदा (e-tender) देने का मौका प्रदत्त होगा, जो पुनरीक्षित (Revise) नही किया जा सकेगा। ई–निविदा में प्राप्त उच्चतम निविदा को आधार मूल्य (Floor Price) मानते हुए द्वितीय चरण में ई नीलामी कराया जायेगा, जिसके दौरान बिडर्स ई नीलामी हेतु निर्धारित तिथि एवं अवधि

में ई–बिड दे सकता है। ई–नीलामी के दौरान केवल उच्चतम बोली को ही प्रदर्शित किया जायेगा जिसको देखते हुए बिडर अपना बिड पुनरीक्षित कर बढ़ा सकते हैं।

5–किसी क्षेत्र के ई–निविदा सह ई–नीलामी हेतु बिडर्स को बिड में भाग लेने से पूर्व प्री बिड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा, जिसकी गणना क्षेत्र में वार्षिक आंकलित खनन योग्य मात्रा एवं उपखनिज की रायल्टी की दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा।

6–एम0एस0टी0सी0 लि0 (भारत सरकार का उपक्रम) को सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है, जिसके द्वारा राज्य सरकार की ओर से ई–निविदा सह ई नीलामी की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। ई–निविदा सह ई नीलामी द्वारा परिहार पर देने की सम्पूर्ण प्रक्रिया आनलाइन एम0एस0टी0सी0 के ई–ऑक्शन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर की जायेगी।

7– इच्छुक आवेदकों के लिए आनलाइन बिड/बोली हेतु Class III Singning type डिजिटल सिग्नेचर सार्टिफेकेट (DSC) होना आवश्यक है। एम0एस0टी0सी0 के उपरोक्त पोर्टल पर जाकर अर्ह आवेदक अपने पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात ही ई–निविदा सह ई नीलामी में भाग ले सकेगे। ई–निविदा सह ई– नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान डी0एस0सी0 की वैधता बनाये रखने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

8– पंजीकृत आवेदक निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाईन अधिकतम 02(दो) क्षेत्र या कुल 50 हे0 क्षेत्रफल के लिए बिड में भाग ले सकेगा परन्तु उसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग–अलग आवेदन शुल्क एवं प्रत्येक क्षेत्र हेतु निर्धारित अर्नेस्ट मनी एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर प्रदर्शित प्रक्रिया के अनुसार एम0एस0टी0सी0 के पेमेन्ट गेटवे के माधयम से जमा करना होगा। किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में पूर्व से 02(दो) क्षेत्र या कुल 50 हेक्टयर से अधिक के खनन पट्टे धारित होने पर वे बिड में भाग नहीं ले सकेगें। इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) ई–निविदा सह ई–नीलामी में भाग लेने के लिए सरकार के पक्ष में रू0–15,000/–(रू0 पन्द्रह हजार) का आवेदन शुल्क एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा करना होगा। जो अप्रतिदेय (Non refundable) होगा।

9– ई–निविदा सह ई–नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को एम0एस0टी0सी0 में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई–आक्शन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध ऑनलाईन फार्म भरना पडेगा जिसके दौरान बिडर्स अपने लिए स्वयं जनित यूजर आई डी एवं पासवर्ड बनायेगें। इस आनॅलाइन पंजीयन के उपरान्त बिडर्स को एम0एस0टी0सी0 द्वारा भेजा गया सूचना ई–मेल प्राप्त होगा, जिसके पश्चात बिडर्स को आवश्यक अभिलेख स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 को ऑनलाईन भेजना अनिवार्य होगा। साथ ही बिडर्स को वार्षिक पंजीकरण शुल्क जी0एस0टी0 सहित रू0–2,360.00 (रू0 दो हजार तीन सौ साठ मात्र) एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से ऑनलाईन देय होगा। अनिवार्य अभिलेख एंव वार्षिक पंजीकरण शुल्क प्राप्ति के पश्चात ही बिडर्स का लॉगिन आई0डी0, पासवर्ड एवं एकाउन्ट एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर चालू (Activate) होगा। पूर्व में पंजीकृत बिडर्स जिसके पंजीकरण की अवधि वैध है, उन्हे पंजीकरण शुल्क देना नहीं होगा परन्तु नये नियमों के अनुसार आवश्यक अभिलेख यथा हैसियत प्रमाण–पत्र आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके पश्चात ही उनका पंजीकरण चालू (Activate) हो पायेगा।

10–पंजीकरण हेतु बिडर्स द्वारा **स्वप्रमाणित** निम्न अभिलेख/प्रमाण–पत्र स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगाः–

(1) **आवेदक के आधार कार्ड की प्रति**, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के आधार कार्ड की प्रति तथा कम्पनी के मामले में कार्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक का Director Identification Number (DIN) के प्रमाण–पत्र की प्रति।

(2) **आवेदक का अद्यावधिक चरित्र प्रमाण–पत्र,** फर्म के मामले मे भागीदारों के अद्यावधिक चरित्र प्रमाण–पत्र की प्रति तथा कम्पनी के मामले में प्रबन्ध निदेशक का इस आशय का शपथ–पत्र की कम्पनी को किसी अपराधिक वाद में दण्डित नही किया गया है चरित्र प्रमाण–पत्र उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहॉ आवेदक स्थाई रूप से निवास करता हो।

(3) आवेदक का पैन कार्ड की प्रति,फर्म/कम्पनी के मामले में उसका पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 नं0 की प्रति।

(4) बैंक खाते का विवरण जिससे ई–निविदा सह ई–नीलामी से सम्बन्धित समस्त वित्तीय हस्तान्तरण किया जायेगा, यथा बैंक का नाम, खाता सं0 आई0एफ0एस0सी0 कोड तथा एक निरस्त चेक की प्रति।

(5) जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन देय बकाया न होने का प्रमाण–पत्र। जहॉ आवेदक राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नही करता है, वहॉ इस आशय का शपथ–पत्र की प्रति।

(6) स्वयं का हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण–पत्र के साथ बैंक गारण्टी, जो बोली की धनराशि के 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो।

11.एम0एस0टी0सी0 द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की वेबसाइट से वसूली प्रमाण–पत्र एवं ब्लैक लिस्ट की सूची से मिलान करने के उपरान्त केवल उन्ही व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का पंजीकरण किया जायेगा, जो उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली–1963 के प्राविधानों के अन्तर्गत अर्ह हो। नियम–26 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति/फर्म/कम्पनी ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रकिया में भाग नही ले सकते हैः–

(1) जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है।

(2) जिसके विरूद्ध खनिज देय बकाया है।

(3) जिसने उस जिले के जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जहॉ वह स्थाई रूप से निवास करता है से चरित्र प्रमाण–पत्र प्राप्त नही कर लिया है। शर्त यह है कि उक्त चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस सत्यापन के आधार पर दिया गया हो।

(4) जिसने अपने आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत न की हो।

(5) जिसका नाम काली सूची में दर्ज हो।

(6) फर्म/कम्पनी के मामले में जिसने पैनकार्ड तथा जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न किया हो।

(7) जिसने हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैंक गारण्टी, जो बोली की धनराशि के 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो प्रस्तुत न किया हो।

12. ऑनलाईन ई–निविदा डालने तथा ई–नीलामी बोलने की विधि का पूर्ण विवरण सेवा प्रदाता संस्था एम0एस0टी0सी0 के वेब पोर्टल www.mstcecommerce.com पर प्रदर्शित की जायेगी।

13 ई–निविदा सह ई–नीलामी में भाग लेने के लिये इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को प्रत्येक क्षेत्र के लिये पृथक –पृथक रू0–15000/– (रू0 पन्द्रह हजार मात्र) का शुल्क जो अप्रतिदेय होगा तथा अर्नेस्ट मनी जो विज्ञप्ति में क्षेत्र के नाम सम्मुख अंकित हो, जमा किया जाना होगा।

14. सफल बोलीदाता/निविदादाता को छोड़कर शेष बोलीदाता/निविदादाता द्वारा जमा बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) यथावत उसी बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी जिस बैंक खाते से पैसा दिया गया था। आवेदक द्वारा पंजीकरण के समय दिये गये बैंक खाते में बदलाव मान्य नहीं किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के अनुमोदन उपरान्त बैंक खाते का बदलाव किया जा सकता है।

15. जहां किसी भी कारण से ई–निविदा सह ई–नीलामी की प्रकिया पूरी न हो वहॉ कम से कम 07 दिन की अल्प अवधि की नोटिस देने के पश्चात पुनः ई–निविदा सह ई–नीलामी की जा सकती है।

16. अधिकतम दो खनन पट्टे या 50 हे0 से अधिक के क्षेत्र को, उ0प्र0 राज्य में किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा अपने पक्ष में दो खनन पट्टे या 50 हे0 से अधिक के खनन पट्टे स्वीकृत करा लिया जाता है, तो अन्त में स्वीकृत खनन पट्टे निरस्त कर पट्टा अन्तर्गत जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा केवल प्रारम्भ के दो क्षेत्र या 50 हे0 के खनन पट्टे ही अनुमन्य होगें। परन्तु यदि आवेदक स्वयं अपने पक्ष में दो खनन पट्टे या 50 हे0 से अधिक के खनन पट्टे हेतु जारी लेटर आफ इन्टेंट की सूचना देता है, तो उक्त सीमा के अन्तर्गत कोई भी खनन पट्टा क्षेत्र के चयन का उसे अधिकार होगा तथा शेष क्षेत्रों की जमा धनराशि पुष्टि के उपरान्त यथावत वापस कर दी जायेगी। नियमावली–1963 में 47वें संशोधन के पूर्व के प्रकरण इस शर्त से आच्छादित नहीं होगें।

17. ई निविदा सह ई–नीलामी की प्रकिया :–

(1) ई–निविदा सह ई–नीलामी दो चरणों मे की जायेगी। प्रथम चरण में केवल ई–निविदा विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं समय के अन्तर्गत डाली जायेगी। बिड की दर प्रत्येक उपखनिज के लिये प्रति घनमीटर के लिये दी जायेगी जो सम्बन्धित उपखनिज के लिये नियमावली–1963 के अनुसूची–1 में उल्लिखित रायल्टी

की दर से कम नहीं होगा। विज्ञप्ति के अनुसार क्षेत्रवार प्राप्त ई–निविदा को एक साथ न खोलकर पृथक–पृथक खोला जायेगा। प्रत्येक क्षेत्र के प्रथम चरण की ई–निविदा खोलने के तत्काल 02 घण्टे बाद द्वितीय चरण की ई–नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

(2) प्रथम चरण की समाप्ति के उपरान्त निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगीः–

(क) यदि प्रथम चरण में एक ही बिड प्राप्त होती है और उक्त बिड (आफर) में प्रति घनमीटर दिया गया दर नियमावली–1963 के प्रथम अनुसूची में उस उपखनिज के लिये निर्धारित रायल्टी दर से 400 प्रतिशत से अधिक है तथा शेष शर्तें पूर्ण करता हो तो जिलाधिकारी द्वारा उस निविदादाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(ख) यदि प्रथम चरण में केवल एक ही बिड प्राप्त होता है और उक्त बिड (आफर) में प्रति घनमीटर में दिया गया दर नियमावली–1963 के प्रथम अनुसूची में उस उपखनिज के लिये निर्धारित रायल्टी दर से अधिक परन्तु 400 प्रतिशत से कम है, तो जिलाधिकारी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, खनिज की उपलब्धता, खनिज की गुणवत्ता, उपखनिज का बाजार मूल्य,उस क्षेत्र में खनिज की मॉग, क्षेत्र में अवैध खनन की सम्भावना, राजस्व की प्राप्ति आदि पर विचार करते हुये स्वविवेक से एकल निविदादाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेंट जारी करने अथवा न करने के सम्बन्ध में निर्णय लेगें।

(ग) यदि प्रथम चरण में एक से अधिक परन्तु पॉच या पॉच से कम बिड प्राप्त होता है तो सभी बिडकर्ता द्वितीय चरण की ई–नीलामी की प्रकिया में भाग लेने हेतु अर्ह होगें तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(घ) यदि पॉच से अधिक बिड/आफर प्राप्त होते है तब केवल पॉच सार्वाधिक निविदाकार ही द्वितीय चरण की ई–नीलामी में भाग लेने हेतु अर्ह होगें तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(3) उपरोक्त प्रस्तर–17(2)(ग)(घ) के अनुसार प्रथम चरण के योग्य बोलीदाता द्वितीय चरण की ई–नीलामी में भाग ले सकते है।

(4) द्वितीय चरण में ई–नीलामी की प्रकिया की जायेगी। ई–नीलामी की प्रकिया प्रथम चरण की अग्रसारित प्रकिया होगी, जिसमें प्रथम चरण में प्राप्त उच्चतम बिड/आफर द्वितीय चरण की ई–नीलामी के लिये न्यूनतम बोली (Floor Price) स्वतः निर्धारित हो जायेगी।

(5) ई–नीलामी की प्रकिया जो ई–निविदा खोलने के तत्काल दो घण्टे बाद प्रारम्भ होगी, में इच्छुक एवं अर्ह व्यक्ति/फर्म/कम्पनी बोली में कई बार भाग ले सकता है। ई–नीलामी की ऑनलाईन प्रकिया में स्क्रीन पर अधिकतम बोली प्रदर्शित होती रहेगी और प्रदर्शित बोली से अधिक बोली ऑनलाईन ही दिया जा सकता है।

(6)निर्धारित समय के पश्चात बोली बन्द हो जायेगी और उसके उपरान्त कोई बोली नहीं दिया जा सकता है। बोली के अन्तिम समय में यदि कोई और बोली प्राप्त होती है तो ई–नीलामी की बोली का समय स्वतः 05 मिनट के लिये बढ़ जायेगा। यह प्रकिया तब तक जारी रहेगी जब तक 05 मिनट के अन्तराल में कोई और बोली प्राप्त नहीं होती है।

(7) ई–निविदा सह ई–नीलामी की कालयोजना एवं अवधि निम्नानुसार सम्पादित की जायेगीः–

प्री–बिड ईएमडी एवं आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि	ई–निविदा से पूर्व एम0एस0टी0सी0 में अपेक्षित प्री बिड ई0एम0डी0 एवं आवेदन शुल्क एम0एस0टी0सी0 की वेबसाइट पर वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार जमा करने की जिम्मेदारी बोलीदाता की है एवं बोलीदाता इसे सुनिश्चित कर लें।
प्रथम चरण में ई–निविदा (ई–टेण्डर) की अवधि	05.06.2023 (पूर्वान्ह 10:00 बजे) से दिनांक 08.06.2023 (अपरान्ह 5:00 बजे) तक
प्रथम चरण में प्राप्त ई–निविदा(बिड)का खोला जाना एवं उसका मूल्यांकन	**कमांक 01 पर अंकित खनन क्षेत्र** दिनांक 09.06.2023 पूर्वान्ह 10:00 बजे **कमांक 02 पर अंकित खनन क्षेत्र** दिनांक 09.06.2023 पूर्वान्ह 10:00 बजे **कमांक 03 पर अंकित खनन क्षेत्र** दिनांक 09.06.2023 अपरान्ह 01:00 बजे **कमांक 04 पर अंकित खनन क्षेत्र** दिनांक 09.06.2023 अपरान्ह 01:00 बजे
द्वितीय चरण की ई–नीलामी की अवधि	**कमांक 01 पर अंकित खनन क्षेत्र** दिनांक 09.06.2023 अपरान्ह 12:00 बजे से 02:00 बजे तक **कमांक 02 पर अंकित खनन क्षेत्र** दिनांक 09.06.2023 अपरान्ह 12:00 बजे से 02:00 बजे तक **कमांक 03 पर अंकित खनन क्षेत्र** दिनांक 09.06.2023 अपरान्ह 03:00 बजे से 05:00 बजे तक **कमांक 04 पर अंकित खनन क्षेत्र** दिनांक 09.06.2023 अपरान्ह 03:00 बजे से 05:00 बजे तक

(8) परिणाम की घोषणा एवं उसका प्रदर्शन :–

(क) प्रथम चरण की ई–निविदा प्रकिया का परिणाम निविदाकार (Tenderer) के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। प्रथम चरण के निविदा प्रकिया के समापन के पश्चात् अधिकतम निविदा धनराशि (बिडिंग एमाउन्ट) प्रदर्शित की जायेगी। सभी निविदाकार द्वितीय चरण की बोली हेतु वे योग्य है अथवा नहीं को भी लॉगिन कर जान सकते हैं।

(ख) एकल निविदा के मामलों को छोडकर शेष मामलों में द्वितीय चरण की ई–नीलामी समाप्त होने के उपरान्त प्राप्त अधिकतम बोली उसके बोलीदाता का विवरण एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

18. पट्टे का दिया जानाः– नियमावली के नियम–28 के प्राविधानों के अनुसार ई–निविदा सह ई–नीलामी के मामले में उस बोली या प्रस्ताव को उपरोक्त प्रस्तर–17(2) में दिये गये प्रकिया के अनुसार जिलाधिकारी स्वीकार करेगें। जिलाधिकारी द्वारा सफल एवं नियमानुसार अर्ह बोलीदाता/निविदादाता को उनके द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख के सत्यापन के एक सप्ताह के अन्दर लेटर आफ इन्टेंट निर्गत किया जायेगा।

19. ई–नीलामी समाप्त होने के पश्चात 03 कार्य दिवस के अन्दर सफल बोलीदाता को अपने मूल अभिलेख का सत्यापन उस जनपद के जिलाधिकारी, जहॉ क्षेत्र स्थित है, के द्वारा अथवा निदेशक,भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय

के द्वारा कराना होगा। निदेशक द्वारा मूल अभिलेख के सत्यापन की स्थिति में अभिलेख–सत्यापन की आख्या ई–मेल के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी। अभिलेख–सत्यापन के पश्चात ही जिलाधिकारी द्वारा आशय पत्र (लेटर आफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा। सत्यापन में यदि कोई अभिलेख अथवा प्रमाण–पत्र कूटरचित, असत्य अथवा गलत पाया जाता है तो लेटर आफ इन्टेंट जारी नहीं किया जायेगा तथा बयाने की धनराशि(अर्नेस्ट मनी)जब्त कर ली जायेगी।

20. लेटर आफ इन्टेंट में निम्न विवरण होंगे :–

(1) प्रथम वर्ष के लिये देय नीलामी धनराशि की गणना पट्टा क्षेत्र के लिये विज्ञप्ति में आंकलित मात्रा घनमीटर को ई–निविदा/ई–नीलामी की दर रूपया प्रति घनमीटर से गुणा कर निकाली जायेगी। खनन पट्टा के अनुवर्ती वर्षो में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की देय धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

(2) सफल बोलीदाता/निविदादाता, पट्टे की निर्बन्धनों और शर्तों का यथोचित पालन करने के लिये प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिये बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व की पहली किस्त के रूप में प्रथम वर्ष के लिये बोली/निविदा की सकल धनराशि का 20 प्रतिशत दो कार्य दिवस के अन्दर जमा करेगा। बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) प्रथम किस्त में समायोजित कर ली जायेगी।

(3) पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किस्तें एवं अनुवर्ती वर्षों में बोली/निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिये निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ नियमावली–1963 के पंचम अनुसूची के अनुसार जमा की जायेगी। पूर्व के परिहार धारकों द्वारा पंचम अनुसूची प्रकिया अन्तर्गत धनराशि जमा करने के अनुरोध पर जिलाधिकारी द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(4) पट्टाधारक नियम–17 के प्राविधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमाकंन करायेगा, जिसमें सीमा बिन्दुओं का जिओ–कोआर्डिनेटस भी इंगित किया जायेगा तथा नियम–35 के अनुसार सीमा स्तम्भ लगायेगा अैर इसका अनुरक्षण करेगा।

(5) चयनित आवेदक नियम–34 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अन्दर खनन योजना, माइन्स क्लोजर प्लान एवं पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।

(6) प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा नियम–34 के अनुसार क्षेत्र के भूमि–उद्धार और पुर्नवासन उपाय हेतु वित्तीय आश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा करेगा।

(7) आशय पत्र (लेटर आफ इन्टेंट) जारी होने के एक माह के भीतर अनुमोदन हेतु देय प्रतिभूति एवं प्रथम किस्त की धनराशि जमा के प्रमाण सहित खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के एक माह के भीतर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(8) पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर पट्टा विलेख का निस्पादन कराकर खनन संकिया तत्काल प्रारम्भ की जानी होगी।

21. सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा धनराशि जमा करने की रीतिः–

(1) स्वीकृत पट्टे की अवधि 05 वर्ष होगी, परन्तु बोली/निविदा की धनराशि प्रथम वर्ष के लिये मानी जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मात्रा एवं Sand Replenishment Study के आधार पर प्राप्त उपखनिज की मात्रा यदि पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र में अनुमन्य मात्रा से भिन्न होने पर पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र की मात्रा अनुमन्य होगी। पट्टा क्षेत्र हेतु अनुमन्य मात्रा को प्रथम वर्ष के लिये प्राप्त बोली की दर से गुणा कर प्रथम वर्ष हेतु ई–नीलामी की धनराशि निर्धारित की जायेगी। अनुवर्ती वर्षो में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की दर पर 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की जायेगी तथा तद्नुसार प्रथम वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षों के लिये पट्टा धनराशि नियमावली–1963 के पंचम अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी।

(2) लेटर आफ इन्टेंट प्राप्त होने के उपरान्त सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा 25 प्रतिशत प्रतिभूति जमा एवं 20 प्रतिशत प्रथम किस्त अर्थात पट्टे के प्रथम वर्ष के लिये निर्धारित पट्टा धनराशि का 45 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि सम्बन्धित जनपद में विभाग के निर्धारित लेखाशीर्षक में लेटर आफ इन्टेंट जारी होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर प्री बिड अर्नेस्ट मनी समायोजित करते हुये जमा किया जाना होगा। प्री बिड अर्नेस्ट मनी की धनराशि एम0एस0टी0सी0 द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा

आनलाईन हस्तान्तरित की जायेगी। यदि सफल बोलीदाता/निविदादाता उक्त धनराशि जमा करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नहीं होगा।

(3) प्रथम वर्ष के लिये शेष 80 प्रतिशत पट्टा धनराशि एवं आगामी वर्षों के लिये पट्टा धनराशि नियमावली में निर्धारित पंचम अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी। उक्त अनुसूची में नियत तिथि के अनुसार देय धनराशि जमा न करने की दशा में नियम–58 के अनुसार देय धनराशि ब्याज सहित वसूल की जायेगी।

(4) पट्टाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0, जिला खनिज फाउण्डेशन (डी0एम0एफ0) आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।

22. शर्तें :– विज्ञप्ति में निम्न शर्तें दी जायेगीः–

(1) ई–निविदा सह ई–नीलामी में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा, गुणवत्ता एवं खनन स्थल के लिये पहुँच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो ले। ई–निविदा सह ई–नीलामी में भाग लेने के पश्चात इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(2) पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के समय सीमांकित मानचित्र पर खनन पट्टा क्षेत्र का कार्डिनेट्स अंकित किया जायेगा तथा पट्टा विलेख निष्पादन करने के पूर्व पट्टाधारक अपने स्वयं के व्यय पर ऐसे सीमा चिन्ह को और खम्बें को लगायेगा जो पट्टा विलेख से संलग्न नक्शे में दर्शाए गये सीमांकन को इंगित करने के लिये आवश्यक होगा।

(3) पट्टा विलेख के निष्पादन के दिनांक से तत्काल खनन संक्रियायें प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात जानबूझ कर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षता पूर्ण रीति से कुशल कारीगर की भांति करेगा।

(4) पट्टाधारक नियम–35 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिये स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक वाहन के सापेक्ष निर्गत किये गये ई–प्रपत्र एम0एम0–11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख–रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गई समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम–66 के उपबन्धो के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा।

(5) पट्टाधारक प्रत्येक वाहन को ई–एम0एम0–11 सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई–एम0एम0–11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिये आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हें सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली–1963 के नियम–59 के अन्तर्गत शास्ति का भागीदार होगा।

(6) पट्टेदार 03 मीटर की गहराई अथवा जल स्तर में से जो कम हो, से अधिक गहराई में खनन संक्रियायें नहीं करेगा।

(7) जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नहीं किया जायेगा।

(8) नदी की जलधारा में सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

(9) स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहॉ परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा, वहॉ पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।

(10) यदि पट्टाधारक द्वारा नियमों व खनन पट्टा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र, खनन योजना आदि की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला बताने की युक्ति युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।

(11) मा0 उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन किया जायेगा।

(12) नियमों एवं शर्तों के उल्लघंन के परिणामस्वरूप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रकिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन पट्टाधारक द्वारा किया जायेगा।

(13) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह पट्टाधारकों को मान्य होगा।

(14) विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या–19 के अनुसार ई–नीलामी के पश्चात 03 कार्य दिवसों के अन्दर मूल अभिलेख का सत्यापन नहीं कराने पर बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) जब्त कर ली जायेगी।

(15) पट्टाधारक द्वारा वन अनापत्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र की शर्तों का अनुपालन किया जायेगा। खनिजों के परिवहन के लिये वन भूमि/वन मार्ग का प्रयोग नियमानुसार वन विभाग से अनुमति प्राप्त कर किया जायेगा।

(16) प्रकाशित विज्ञप्ति में यदि किसी प्रकार का कोई संशोधन किया जाता है तो, संशोधन की सूचना www.mstcecommerce.com पर प्रदर्शित की जायेगी। विज्ञप्ति में संशोधन की सूचना अलग से आवेदक को नही दी जायेगी।

(नेहा जैन)
जिलाधिकारी
कानपुर देहात।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः'–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1–सचिव,उ0प्र0 शासन, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,लखनऊ।
2–निदेशक,भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
3–आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर।
4–शाखा प्रबन्धक (बी0ओ0), एम0एस0टी0सी0लि0, ग्राउण्ड फ्लोर, सी0डब्लू0सी0, मण्डल मण्डल कार्यालय, काम्प्लेक्स, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ, को विज्ञप्ति की एक प्रति एम0एस0टी0सी0सी0 के पोर्टल पर डालने हेतु।
5–प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ।
6–जिला सूचना अधिकारी, कानपुर देहात को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
7–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी जनपद कानपुर देहात को जनपद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8–समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, जनपद कानपुर देहात को सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।
9–नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट कानपुर देहात को कलेक्ट्रेट सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।

15.05.23
जिलाधिकारी
कानपुर देहात।